2024

भारत के बच्चों की शिक्षा के लिए एक सार्वजनिक घोषणापत्र

2024

परिचय

भारत आजादी का अमृतकाल के बैनर तले आजादी के 76 साल का जश्न मना रहा है और विकसित भारत के सपने को संजो रहा है। हम एक सक्षम और लोकतान्त्रिक भारत की परिकल्पना कर रहे है जहां देश के हर नागरिक को अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने का अवसर मिले। यह तभी संभव है जब हर भारतीय बच्चे को, जाति, वर्ग, संस्कृति, धर्म, लिंग, विकलांगता या किसी भी परिस्थिती के बावजूद, एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले ताकी वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने एवं उपयोग करने में सक्षम बन सके। हालाँकि, भारत में शिक्षा का अधिकार वर्तमान में केवल 6-14 आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है जिसे छह साल से कम उम्र के बच्चों तक इस अधिकार का विस्तार करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मानव विकास की नींव रखने में यह चरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथ ही भारत के विधि आयोग की सिफारिशों के मे भी यह कहा गया है। इस अधिकार का दारा 18 वर्ष की आयु तक भी बडानी चाहिए।

बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू होने के 14 साल बाद भी, एक सामान्य स्कूल प्रणाली के रूप में शिक्षा के सार्वभौमिक एवं उच्च-गुणवत्ता वाले मानकों को सुनिश्चित करना तो दूर, देश मे इस कानून का पालन केवल 25.5% स्कूल मे ही मौजूद हैं। 8.4 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और लगातार शिक्षकों की जगह संविदा शिक्षक ले रहे है। अनुमान है कि भारत में 19% स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं और सात में से एक स्कूल केवल एक शिक्षक द्वारा चलाया जाता है। देश में 44% शिक्षक, नौकरी के अनुबंध के बिना काम करते हैं और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में विफल रहते हैं। जबकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु योग्य और प्रेरित शिक्षकों का होना जरूरी है। इसके अलावा सभी शिक्षकों के ऊपर गैर-शैक्षणिक कार्य का दबाव होता है। एक अनुमान के अनुसार कार्य घंटों के 20-25% समय गैर-शैक्षणिक कार्य मे जाता है। पाठ्यक्रम और शिक्षण की सामग्री मे भी लगातार बदलाव किए जा रहे है।

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत में 9.3 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं जबकि वास्तविक संख्या बहुत अधिक है। दक्षिण एशिया में भारत बाल श्रमिकों की संख्या मे सबसे बड़ा देश है जिससे 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने की अपनी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्रतिबद्धताओं के विफल होने का खतरा है। स्कूल से बाहर रहने से न केवल बच्चे शिक्षा की से वंचित हो जाते हैं, बल्कि बच्चों का बाल श्रम में जाने का जोखिम भी होता है। एक और जहां भारत अभी भी कोविड संकट और दुनिया के सबसे लंबे स्कूल लॉकडाउन से से पूरी तरह से उबर नहीं पाया है वहीं दूसरी और 2017 से 2022 के बीच 72,157 स्कूल बंद कर दिए गए हैं जो कि शिक्षा के अधिकार के लिए एक बड़ा खतरा है।

कानून होने के बावजूद भी शिक्षा के अधिकार मे आज भी कई असमानता है। आज भी देश मे कई लड़कियां, दिव्याङ्ग बच्चे, गरीब, दलित, जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, प्रवासी, अन्य भाषा बोलने वाले और अन्य बहिष्कृत समूहों के बच्चों के साथ भेदभाव होता है। भारत की केवल 0.14% मातृभाषाएँ शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग की जाती हैं और 0.35% को भारत के स्कूलों में कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है जो आदिवासी शिक्षार्थियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 57% लड़कियां 11वीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते पढ़ाई छोड़ देती हैं। 5 वर्ष के दिव्याङ्ग बच्चों में से तीन-चौथाई किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं, जबकि 5 से 19 वर्ष की आयु के एक-चौथाई बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं।

शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है और देश भर में निजी स्कूलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। भारत में 10 नए स्कूलों में से सात अब निजी हैं। निजी स्कूलों की वृद्धि से समाज आज आमीरी और गरीबी की अलग-अलग दुनिया बाँट गया है। गरीब वर्ग के बच्चों की तुलना मे अमीर वर्ग के बच्चों का निजी प्रारंभिक बाल देखरेख संस्थानों में जाने की संभावना सात गुना अधिक है। ऐसे निजी स्कूल जो आरटीई अधिनियम द्वारा की गई मुफ्त शिक्षा की प्रतिबद्धता के दायरे से बाहर है, में पूर्व-प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों मे भी शिक्षा पर प्रति छात्र औसत जेब खर्च अधिक रहा है।

2024 के आम चुनाव भारतीय नागरिकों को शिक्षा के मूलभूत स्तर पर विशेष जोर देते हुए 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग करने का एक अवसर प्रदान करता है। भारत में शिक्षा आठ वर्षों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य है, जो सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शिक्षा 2030 एजेंडा के तहत 12 साल के लिए सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने शिक्षा के वादे से कम है, जिसमें से कम से कम नौ साल अनिवार्य हैं। 2023 में, क्रमशः केवल 24 और 46 देशों और क्षेत्रों (215 में से) ने कम अवधि के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य घोषित किया। पांच वर्ष की आयु से पहले बच्चों के मस्तिष्क का विकास 90% होता है इसलिए इस स्तर पर सही तरीके से हस्तक्षेप करना सामाजिक रूप से सुविधा प्राप्त और वंचित बच्चों के बीच अंतर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अब आरटीई अधिनियम के विस्तार के माध्यम से छह वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार देने का समय आ गया है। साथ ही, यूएनसीआरसी घोषणा के अनुसार, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को किसी भी प्रकार के बाल श्रम से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसमें पारिवारिक उद्यमों सहित सभी रूपों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा के अधिकार की भावना का बेहतर क्रियान्वयन हो सके।

फॉरम फॉर क्रेचेस एंड चीलड़ केयर सर्विसेस (फोर्सेस), आरटीई फोरम, एलायंस टू राइट टू ईसीडी और बाल श्रम के खिलाफ अभियान आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन, जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक सभी के लिए मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण , समान शिक्षा के अधिकार के विस्तार की मांग करने के लिए एक साथ आए हैं। बाल श्रम की समाप्ति को आगामी आम चुनावों के लिए सभी दलों के मुख्य एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए। चारों नेटवर्क, अन्य समान विचारधारा वाले समूहों एवं संस्थाओं के समर्थन से, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेनेगे कि इन मांगों को पूरा किया जाए।

2024

हमारी 12 सूत्री मांगें

2026 तक सभी स्कूलों में तय किए गए मानदंडों को लागू करते हुए शिक्षा अधिकार कानून, 2009 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए और विफलता की स्थिति में स्पष्ट ज़िम्मेदारी, जवाबदेही और दंड भी तय किया जाए।

बाल्यावस्था (जन्म से 03 वर्ष), पूर्व प्राथमिक (04 से 08 वर्ष) एवं उच्चतर माध्यमिक (09 से 18 वर्ष) स्तर पर शिक्षा के अधिकार को कानूनी स्वरूप देते हुए "बच्चे" की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त परिभाषा के अनुरूप, शिक्षा अधिकार कानून के दायरे को 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाए। इस आयु अवधि में शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होनी चाहिए और सभी स्कूल और ईसीसीई केंद्र (सरकारी और निजी दोनों) उच्च और समान मानकों के अनुसार, सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत होने चाहिए। बच्चों को समान सेवाएं मिले और माता-पिता एवं नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

18 वर्ष की आयु तक बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित किया जाए। इसमें बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधान को हटाना शामिल है जो 'पारिवारिक उद्यम' में बाल श्रम को अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति देता है, खतरनाक और गैर-खतरनाक काम के बीच अंतर की अनदेखी करता है और नियोक्ताओं पर दंड प्रवर्तन को मजबूत करता है।

सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक मध्याह्न भोजन के प्रावधान सहित स्कूल और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का कम-से-कम 6 प्रतिशत किया जाए। इस 06 प्रतिशत का 10 प्रतिशत व्यय प्रारम्भिक बाल देखरेख मे किया जान चाहिए

अलग अलग बहाने से सरकारी स्कूलों की बंदी और विलय तत्काल प्रभाव से रोका जाए और बंद किए गए स्कूलों को खोला जाए।

खाली पदों को यथाशीघ्र भरा जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी शिक्षक और ईसीसीई कर्मी पेशेवर रूप से योग्य और गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रशिक्षित हैं। उनकी सेवा शर्तें गरिमापूर्ण हों और उन्हें पूर्ण वेतनमान एवं आगे बढ़ने के समुचित अवसर मिलें। साथ ही, गैर शैक्षणिक एवं ईसीसीई कार्यों से ताल्लुक न रखने वाली गतिविधियों से उन्हें मुक्त रखा जाए।

शिक्षा के निजीकरण के सभी तरीकों पर रोक लगाई जाए और निजी स्कूलों और ईसीसीई केंद्रों के फीस के रेगुलेशन के लिए एक सक्षम और सख्त राष्ट्रीय नियामक ढांचा विकसित और लागू किया जाए।

समाज में व्याप्त कई किस्म के भेदभावों के शिकार आदिवासी, गरीब, दलित, मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों, लड़कियों, दिव्याङ्ग बच्चों और अन्य कमजोर समूहों की तरफ विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और समावेशी शिक्षा पूरी होने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यथोचित उपाय अपनाएं जाएँ और भाईचारा, गरिमा और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों व मूल्यों का पालन सुनिश्चित हो।

बाल श्रम से मुक्त बच्चों की सहायता के लिए बाल और किशोर श्रमिक पुनर्वास निधि के तहत संसाधनों का उचित कार्यान्वयन और वितरण किया जाए।

स्कूल से ड्रॉपआउट और स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए ब्रिजिंग मैकेनिज्म जैसे- क्रेश एवं डे केयर सेंटर स्थापित किया जाए और प्रवासी परिवारों, विशेष रूप से अंतर-राज्यीय प्रवासियों के बच्चों एवं 06 वर्ष से छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने वाले बच्चों को निरंतर शिक्षा मिल सके इसके लिए प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाया जाए।

शिक्षण के लिए माध्यम के रूप में उपयोग की जाने वाली मातृभाषाओं, विशेष रूप से आदिवासी भाषाओं की संख्या का विस्तार किया जाए, पाठ्यपुस्तकों और सामग्रियों के विकास को बढ़ावा दिया जाए और भाषाई शिक्षकों के रूप में आदिवासी भाषा बोलने-समझने और बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने में निपुण लोगों की भर्ती की जाए। इसके लिए पर्याप्त वित्त और मानव संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए शैक्षिक संस्थानों को सशक्त किया जाए।

उपरोक्त मांगों के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनर्विचार करें।

2024

alliance for right to ECD early childhood development

CACL

rte FORUM

FORCES women childcare development